THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY. चेहावनी यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्मति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना निष्की है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाएं। LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE MANEDLATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN YUDIA OR IF THE HOLDER IS ARROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSIONPOST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED. THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST, THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER, IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY. REGISTRATION
INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD. ARE ADVISED TO REGISTER
THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSIONPOST. पासपोर्ट पुम हो जाने, बोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटनम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा बदि पासपोर्ट शास्त्र विदेश में है तो निकटनम भारतीय निगन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दो जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही हुस्तीकेट पासपोर्ट जानी किया जाएगा। यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्बे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए। पंजीकरण विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिश्रन/ पंजीकरण पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian RAMESH BHARDWAJ माता का नाम / Name of Mother RITASH RAMESH BHARDWAJ पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse B-102, GOVIND APT, SECTOR-12/A, KOPERKHAIRANE, NAVI MUMBAI-400709 MS पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue THND00247710